शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध कार्यवाही

संख्या- 12/2016/840/अडतीस-7-2016-407नरेगा/2010

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 02 जून, 2016**

विषय- वर्षाकाल जुलाई 2016 में किसी 01 दिन में 5.00 करोड पौधे रोपित करने के लिए मनरेगा श्रमिकों की उपलब्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में आगामी वर्षाकाल में जुलाई, 2016 में किसी 01 दिन में 5.00 करोड पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें युद्धस्तर पर पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में वन विभाग सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण की तैयारी हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- अतः प्रदेश सरकार द्वारा हरित आवरण तीव्र गति से बढाने व वृक्षारोपण संबंधी जन-जागरण अभियान को गति देने की दृष्टि से जुलाई 2016 में किसी 01 दिन में 5.00 करोड पौधे रोपित करने की महत्वाकांक्षी योजना प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त रोपण स्थलों के पालीगान बनाकर संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे, ताकि सैटेलाइट इमेजिनरी द्वारा रोपण संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सके। इस कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मौके पर प्रमाणीकरण गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड तथा टाटा इनर्जी रिसर्च इंस्टीटयूट आदि संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

3- वृक्षारोपण के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पूरे प्रदेश में लगभग 715000 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। श्रमिकों की उपलब्धता बनाये रखने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधानों द्वारा वृक्षारोपण हेतु श्रमिकों की उपलब्धता, निर्धारित वृक्षारोपण दिवस को सुनिश्चित कराने हेतु विकास खण्डों में पंजीकृत एवं जाबकार्ड धारक सभी मनरेगा श्रमिकों को अन्य विभागो के विकास कार्यों से 03 दिन के लिए विरत करते हुए मजदूरों को निकटस्थ् ग्रामों में वृक्षारोपण कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाय। प्रदेश के समस्त खण्ड विकास अधिकारी मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की एक सूची ग्राम सभावार निम्न तालिका के अनुसार तैयार कर वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारियों को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे:-

क्र सं0	श्रमिक का नाम	पिता का नाम	ग्राम सभा का नाम	जाब कार्ड संख्या
1.	2.	3.	4.	5.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रभागीय वनाधिकारी जिला वृक्षारोपण समिति के नामित सचिव होते हैं, उनका दायित्व होगा कि वृक्षारोपण के पूर्व जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में ग्राम्य विकास विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी सूची के अनुसार श्रमिकों का ग्राम सभावार निकटस्थ वृक्षारोपण स्थल हेतु आवंटन करेंगे , जिन्हें मौके पर उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग का होगा। जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में वृक्षारोपण स्थलवार निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र पर श्रमिकों के आवंटन का अनुमोदन कराया जायेगा:-

क्रसं0	वृक्षारोपण		श्रमिक का नाम	पिता का नाम	ग्राम सभा का नाम	जाब कार्ड संख्या
	स्थल का नाम	प्रभारी का नाम				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव ।

संख्या- 12/2016/840(1)/अड़तीस-7-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-5, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ/अपर प्रमुख वन संरक्षक सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य करायें।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।